न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/26

1. प्रभूलाल
2. रंगलाल
3. हजारा
4. लालचन्द
5. गोपी सभी वयस्क पिसरान श्री औंकार जातियान मीणा निवासीगण ग्राम अमरथूना तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. लक्ष्मण आत्मज हरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम उमरथूना तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. भंवर लाल आत्म्ज रोडू जाति मीणा निवासी ग्राम उमरथूणा तहसील एवं जिला बून्दी।

----अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती इन्द्रा बाई आयु 35 वर्ष पत्नी श्री दुर्गालाल जाति मीणा निवासी ग्राम रामनगर जाटान तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. मोहन लाल
3. कमल पिसरान कल्याण जी जातियान मीणा निवासीगण ग्राम उमरथूना तहसील एवं जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उमरथूना तहसील व जिला बून्दी में खसरा नम्बर 442/178 रकबा 12 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिनी के खातेदारी में दर्ज है । प्रतिवादीगण ताकतवर एवं झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं जिनका उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी वे

वादिनी के खाते एंव कब्जे की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते हैं । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाए ।

3. अतः वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण ताकत के बल पर जबरन कब्जा नहीं करें, वादिनी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करे एवं वादिनी को उक्त भूमि पर काश्त करने, हांकने, जोतने बुवाई करने व कटाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण नाजायज रूप से उक्त भूमि पर कब्जा कर ले तो प्रतिवादीगण को आदेशात्मक आज्ञा से बेदखल कर कब्जा वादिनी को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 वादिनी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय एंव डिक्री जारी की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 से 7 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में पक्षकारान की अनुपस्थिति में अपीलान्टगण को सूचित किये बिना ही पारित कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम नहीं की है और गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया है । लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.12.2015 को रेस्पोडेन्ट द्वारा कब्जा करने की धमकी देने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थति नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 393 से वादिनी के खाते में दर्ज हुई थी । उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी के द्वारा एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था जिसमें अपीलान्टगण ने जवाबदावा पेश किया था और यह अंकित किया था कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का शांतिपूर्ण कब्जा काश्त पिछले 30 वर्षों से चला आ रहा है । प्रकरण कायम तनकीयात में लम्बित था उसमें आगामी तारीख पेशी 09.07.2015 नियत की गई थी ।

इससे पूर्व ही दिनांक 07.07.2015 को पत्रावली को लोक अदालत में रखा गया और बिना सीपीसी की पालना किये निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि –विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था । पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में कायम तनकीयात में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणागवुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए, गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा